UPMZ010067002026

न्यायालय, Addl. Distt. and Sess. Judge Court No-08, Muzaffarnagar.

पीठासीन अधिकारी– (KASHIF SHEIKH), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP02680

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2677 सन् 2026

कासिफ बनाम उ०प्र० राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 39 सन् 2026,
अंतर्गत धारा 109(1), 352, 351(3)
भारतीय न्याय संहिता,
थाना सिविल लाईन, जनपद मुजफ्फरनगर।

30–06–2026

01:– आवेदक/अभियुक्त **कासिफ पुत्र सत्तार,** निवासी खालापार, थाना खालापार, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), जो कि मुकदमा अपराध संख्या 39 सन् 2026, अंतर्गत धारा 109(1), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना सिविल लाईन, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के मामले में निरुद्ध है, की ओर से जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

02:– संक्षेप में अभियोजन कथानक मामले के वादी मुकदमा जगमाल की तहरीर के आधार पर इस प्रकार है कि वादी मुकदमा झांसी की रानी चौक, मुजफ्फरनगर पर चाय, ब्रेड पकोडे का ठेला लगाता है तथा वादी मुकदमा के पास अन्य व्यक्ति भी अपना–अपना ठेला लगाते हैं। दिनांक 18–02–2026 को जब वादी मुकदमा अपने ठेले पर मौजूद था, तभी समय करीब 03:30 बजे वादी मुकदमा के बराबर वाले ठेले, जो रामू पुत्र सरजीत सिंह, के साथ एक व्यक्ति (अज्ञात) बिना किसी बात के गाली–गलौच करने लगा। रामू के मना करने पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी तभी उस व्यक्ति द्वारा रामू के ठेले से ही उसका चाट वाला चाकू उठाकर यह कहते हुए साले आज तुझे जान से मारुंगा, जान से मारने की नीयत से रामू पर कई बार किये। शोर–शराबे व रामू के चिल्लाने पर वादी मुकदमा ने रामू को बचाने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने वादी मुकदमा के साथ भी गाली–गलौच करते हुए उसी चाकू से तथा पास पड़ी ईट से वादी मुकदमा के सर पर वार किया। जिससे वादी मुकदमा लहूलुहान हो गया। आस–पास के लोगों ने इकट्ठा होकर उस व्यक्ति पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया।

03:– आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए और उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिकथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का

Digitally signed by KASHIF SHEIKH
Date: 2026.06.30 16:41:15 IST
Reason: Bail Order
Location: Addl. Sessions Judge, Court No-08, Muzaffarnagar.

यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। आवेदक/अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही किसी अन्य न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिखाया गया है। अपराध उपरोक्त की घटना तथा आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19–02–2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होकर मामले की पैरवी करने में असमर्थ है। आवेदक/अभियुक्त निर्धन व्यक्ति है और आवेदक/अभियुक्त की पैरोकारी करने वाला कोई नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। उसके द्वारा साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना किसी प्रकार की नहीं है। आवेदक/अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने के लिए तैयार है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

04:– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्ड़िक) उपस्थित। उनके द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का विरोध किया जाता है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया जाए।

05:– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्ड़िक) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सविस्तार सुना तथा समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।

06:– जमानत प्रार्थनापत्र, केस ड़ायरी एवं अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध वादी मुकदमा जगमाल एवं चुटैल रामू पर जान से मारने की नीयत से हमला करने, गाली–गलौच करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा जगमाल को आई एकमात्र चोट साधारण प्रकृति की है, जिसे जेरे निगरानी रखा गया है। जिसकी पूरक रिपोर्ट में उक्त चोट X RAY SKULL AP/LAT;– NAD के रूप में दर्शित है। चुटैल रामू को आई कुल 05 चोटों में से क्रमशः चोट संख्या 03, 04 एवं 05 साधारण प्रकृति की हैं। चुटैल रामू को आई चोट संख्या 01 तथा 02 की अवधि तथा चोट मारने में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट के संबंध में चिकित्सक द्वारा कोई राय नहीं दी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में चुटैलगण की मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई चोट दर्शित नहीं है, जो चुटैलगण के लिए प्राणघातक हो। प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित थाना द्वारा विवेचनोपरांत आरोपपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है, जिससे अभियुक्त द्वारा साक्ष्य के साथ छेडछाड़ करने की कोई संभावना शेष नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 18–02–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **कासिफ पुत्र सत्तार** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 39 सन् 2026, धारा 109(1), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना सिविल लाईन, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों के अधीन **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त **कासिफ** द्वारा **अंकन 1,00,000/– (एक लाख) रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

01. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा आरोप विरचित किये जाने, साक्षीगण के साक्ष्य, जिरह किये जाने तथा धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान लेखबद्ध किये जाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

02. वाद के निस्तारण में सार्थक सहयोग करेगा।

दिनांकः– 30–06–2026

(काशिफ शेख)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 08, मुजफ्फरनगर।